

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, 10कि.मी. सिरसा रोड़, हिसार

ई-निविदा आमंत्रण सुचना

केन्द्रीय राज्य फार्म हिसार के 2710 हैक्टेयर वर्ग क्षेत्र में स्थित समस्त फसलों एवं अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु कार्य 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए ठेके पर देने के लिए दो निविदा प्रणाली के अंतर्गत ई-टेंडरिंग के माध्यम से आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जो कि दिनांक 27.06.2017 को तकनीकी व वित्तीय निविदाएं केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार पर खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, सुरक्षा ठेके की नियम एवं शर्तें, निविदा दस्तावेज व सुरक्षा ठेके से संबंधित विस्तृत जानकारी नैशनल सीड्स कारपोरेशन लि० के ई-पोर्टल- <https://indiaseeds.eproc.in> एवं वेबसाइट www.indiaseeds.com पर उपलब्ध है व इच्छुक पार्टियों द्वारा ई-निविदा में भाग लेने हेतु डाउनलोड/अपलोड की जा सकती हैं। सभी निविदाकारों को ई-निविदाकरण पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना एवं डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना वांछित हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बिना कोई कारण किसी/सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सुरक्षा अधिकारी
कृते उप-महाप्रबंधक (फार्म)
मो० नं०-8685912418



Signature :-
Subject : CN=INDRA PAL SINGH, SERIALNUMBER=7e936aedcdb4eae939d68f137671a7ec
cdd272cdd8f12e2177ce901000574126, ST=HARYANA, OID.2.5.4.17=125001
, OU=MANAGEMENT, O=NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD, C=IN
User ID : indrapalsingh
Serial No : D18578



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म@Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार/ 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12/ BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

File No. CSF/HSR/SEC/12-27A-5/2017

Date : 02-06-2017

NOTICE INVITING E-TENDER

E-tenders under Two Bid System are invited for awarding security contract of Central State Farm, Hisar situated at 10 km Sirsa Road, Hisar for safeguarding the farm's crops and other property situated in an area of 2710 hactere for a period of one year starting from 1st July 2017 to 30th June 2018. Details of eligibility criteria, tender schedule and other Terms and Conditions can be viewed and downloaded from <https://indiaseeds.eproc.in> & www.indiaseeds.com

Particulars	Details
Date of issue of NIT	06-06-2017 – 10 AM onwards
Tender Document Download Start Date/time	06-06-2017 – 10:00 AM onwards
Tender Document Download End Date/time	24-06-2017 – upto 5.00 PM
Date and time for submission of online bid	From 06-06-2017 – 10:00 AM To 24-06-2017 – upto 5-00 PM
Date and time of opening of Technical Bid & Financial Bids in Online mode at C.S.F,Hisar.	Technical Bids Opening : 27-06-2017 Financial Bids Opening : 27.06.2017
Tender Fee to be deposited online	Rs.1000(One Thousand Only)
EMD	EMD : Rs.1,50,000/-(Rs One lac and fifty thousand Only) to be deposited online by RTGS/NEFT or by means of Demand Draft
Security Deposit (To be deposited by successful bidder after issue of acceptance letter/Work order by means of Demand Draft or Bank Guarantee)	Security Deposit : Rs 6,00,000/- (Rs six Lac Only) Note : E.M.D of Rs 1.5 lac will be adjusted against security deposit and successful bidder will have to deposit balance amount of 4.5 lac by means of Demand Draft or Bank Guarantee drawn in favour of National Seeds Corporation Ltd..
Address for Communication	Sh.B.P.Singh, Dy.G.M (Farm.), Central State Farm, 10 Km Sirsa Road, Hisar-125001 (Haryana) M-9971202012
Contact Person (with Phone No & E-Mail)	Shri Rajesh Kumar Singh, Security Officer, Central State Farm, Hisar-125001 (Haryana) Mob : 8685912418, email : mechfarm1@rediffmail.com
This Tender Document contains Two Parts	
Technical Bid : Terms and Conditions of Security contract giving details of EMD & S.D details, Eligibility criterias for participating in the tenders, Details of documents to be submitted by the tenderer, nature of work to be performed by the security contractor and other conditions related to security arrangement of the farm. and Conditions.	
Financial Bid : Financial bid document	

NSC reserves the right to make any alteration/modification in the Tender Document or

scrap the tender at any stage without assigning any reason.

Signature : DR. PAAP SINGH, CHIEF MANAGER, SECURITY CONTRACTS, NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.,
C-12, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-110012
E-MAIL: MECHFARM1@REDIFFMAIL.COM
MOB: 9971202012
OU=MANAGEMENT, O=NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD, C=IN
User ID : indrapalsingh
Serial No : D18578

DGM (Farm)

Section 1

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

DEFINITIONS:

_ C1 India Private Limited: Service provider to provide the e-Tendering Software.
_ NSCL e-Procurement Portal: An e-tendering portal of National Seeds Corporation Limited (“NSCL”) introduced for the process of e-tendering which can be accessed on <https://indiaseeds.eproc.in>.

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

It is mandatory for all the bidders to have Class-III Digital Signature Certificate (With Both DSC

Components, i.e. Signing & Encryption) from any of the licensed Certifying Agency (Bidders can

see the list of licensed CA’s from the link www.cca.gov.in) to participate in e-tendering of NSCL.

C1 India Pvt. Ltd. Facilitates procurement of Class-III DSC’s. DSC Procurement request may be

sent to jatin.kalra@c1india.com for more details during NSCL working days.

To participate in the e-bid, it is mandatory for the Applicants to get themselves registered with the

NSCL e-Tendering Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>) to have a user ID & Password which has to be

obtained by submitting a non-refundable annual registration charges of Rs. 3300/- inclusive of all taxes

Online mode. Validity of Registration is 1 year.

After making the payment through online mode (i.e. Net banking, Debit card, Credit Card), Vendors

have to send an e-mail intimation to Helpdesk for their profile activation. The account will be activated

within 24 working hours.

All profile activations will be done only during NSCL working days. No profile activation will take

place during NSCL Holidays & gazetted holidays.

The amendments / clarifications to the tender, if any, will be posted on the NSCL e-Tendering

Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>).

To participate in bidding, bidders have to pay EMD (refundable) as per the amount mentioned in

the tender document online through NEFT/RTGS after generating E-challan from <https://indiaseeds.eproc.in>.

To participate in bidding, bidders have to pay Tender Processing Fee of Rs. 550/- inclusive of all

taxes (Non-refundable) through Online mode (internet banking/debit card/credit card).

Both 'EMD' and 'Tender Document Fee' are mentioned in individual tender document as published

at NSCL e-Tendering Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>). The bidders who are MSE and registered


with NSIC are exempted from paying EMD and tender document cost, for which they have to submit

the documentary proof.

For helpdesk, please contact e-Tendering Cell and Help Desk Support.

II. PREPARATION & SUBMISSION OF APPLICATIONS:

Signature:-
Subject: CN=INDRA PAL SINGH, SERIALNUMBER=7e936aedcdb4eae939d68f137671a7ec
cdd272cdd8f12e2177ce901000574126, ST=HARYANA, OID.2.5.4.17=125001
INDRA PAL SINGH, C=INDIA, O=NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD, C=IN
Serial No.: D18378



- Detailed NIT may be downloaded from NSCL e-tendering portal and the Application may be submitted compulsorily online mode following the instructions appearing on the screen / NIT.
- Vender can pay tender document Fee as per tender document online through Internet Banking / Debit Card / Credit Card.
- A Vendor manual containing the detailed guidelines for e-tendering system is also available on the portal.

III. MODIFICATION / SUBSTITUTION/ WITHDRAWAL OF BIDS:

- The Bidder may modify, substitute or withdraw its e-bid after submission prior to the Bid Due Date. No Bid shall be modified, substituted or withdrawn by the Bidder on or after the Bid Due Date.
- Any alteration/ modification in the Bid or additional information supplied subsequent to the Bid Due Date, unless the same has been expressly sought for by the NSCL, shall be disregarded.
- For modification of e-bid, bidder has to detach its old bid from e-tendering portal and upload / resubmit digitally signed modified bid.
- For withdrawal of bid, bidder has to click on withdrawal icon at e-tendering portal and can withdraw its e-bid.

IV. OPENING AND EVALUATION OF APPLICATIONS:

- Opening of Applications will be done through online process. However, Corporation reserves the right for evaluation and decision based on tender submitted online.
- NSCL shall open documents of the Application received in electronic form of the tender on the Application due date i.e. in the presence of the Applicants who choose to attend. NSCL will subsequently examine and evaluate the Applications in accordance with the provisions set out in the Tender Document.
- The price bid will be opened of the responsive applicants. The date of opening of price bid will be notified later on.

V. DISCLAIMER :

The vender must read all the instruction in the RFP and submit the same accordingly



Signature :-
Subject : CN=INDRA PAL SINGH, SERIALNUMBER=7e936aedcdb4eae939d68f137671a7ec
dd272cdd8f12e2177ce901000574126, ST=HARYANA, OID.2.5.4.17=125001
, OU=MANAGEMENT, O=NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD, C=IN
User ID : indrapalsingh
Serial No : D18578

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार

फार्म के 2710 है0 क्षेत्रफल में स्थित फसलों एवं अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु
सुरक्षा कार्य (01.07.2017 से 30.06.2018 तक) ठेके पर देने बाबत नियम व शर्तें

1. सुरक्षा ठेका की अवधि दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2018 तक या केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के उप-महाप्रबंधक (फार्म) के अग्रिम आदेशों तक होगी। सुरक्षा ठेके का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर उप-महाप्रबंधक (फार्म) द्वारा ठेके की अवधि को 6 महिने/एक साल वर्तमान दरों एवं सुरक्षा ठेके के वर्तमान अनुबंध की नियम व शर्तों पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार उप-महाप्रबंधक (फार्म) द्वारा सुरक्षा ठेके की अवधि को घटा कर 30 **दिन का नोटिस देकर** बिना किसी कारण के समाप्त किया जा सकता है। सुरक्षा ठेके की अवधि को बढ़ाने या घटाने का फैसला पूर्ण रूप से उप-महाप्रबंधक (फार्म) पर निर्भर होगा व सुरक्षित रहेगा। ठेके से संबन्धित विस्तृत जानकारी फार्म के सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है। दिनांक 27.06.2017 को दोपहर 3.00 बजे फार्म के सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षा ठेके से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी देने बाबत बैठक की जाएगी ।
 2. सुरक्षा ठेके की निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि रु.150000/- (एक लाख पचास हजार केवल) हैं जो कि निविदादाता/निविदाकार को "नैशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड" नई दिल्ली में आन-लाईन ट्वैल्वैथ्ज्म्सउंदक क्तांजि द्वारा जमा कराने होंगे । धरोहर राशि के बिना किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा व असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि फार्म द्वारा 05 दिन पश्चात केवल ट्वैल्वैथ्ज् द्वारा ही वापिस की जाएगी। सफल निविदादाता को कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र मिलने के पश्चात 24 घंटे के अन्दर निम्न विवरण के अनुसार प्रतिभूति राशि (मबनतपजल क्मचवेपज) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी (जो कि "नैशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड हिसार" के नाम पर देय हो) के रूप में फार्म में जमा कराने होंगे:-
- ए- फार्म के खण्ड-1, 2 एवं 3 (कुल क्षेत्र 2710 है0) के 20 चकों जो कि चक बेरी बाग (23000 आर.डी0), 21000, 17000, 13000, 9000, 2000, 68025, 72000, 75000, 78/80000 आर.डी. ढंढूर, ढंढूर नर्सरी, 38000 आरडी, हवाई पट्टी, टेल प्लाट, बाग, नया बाग, 23000आरडी, 86000 आर/एल, ठसका व सैंट्रल कालोनी परिसर, सैंट्रल कालोनी के मुख्य गेट, आफिस व रिहायषी परिसर में स्थित फार्म की फसलों एवं अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु कार्य के लिए प्रतिभूति राशि (मबनतपजल क्मचवेपज) रु.6,00,000/- (रु. छः लाख केवल) होगी । धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि पर फार्म द्वारा किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
3. सफल निविदादाता द्वारा सुरक्षा ठेके की निविदा में भाग लेने हेतु फार्म में जमा कराई गई धरोहर राशि (म्डण्क्) प्रतिभूति राशि (मबनतपजल क्मचवेपज) में समायोजित कर दी जायेगी जो कि फार्म द्वारा सम्बन्धित खण्ड के सुरक्षा ठेके के कार्य के संतोषजनक रूप से समाप्त होने के 2 महीने पश्चात बिना ब्याज के सम्बन्धित सुरक्षा ठेकेदार को वापिस की जाएगी ।
 4. सुरक्षा ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होने के 01 महीने के अन्दर हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा श्रम संविदा अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 12 के फार्म पर सुरक्षा ठेके का कार्य करने हेतु जारी ठेकेदार लाइसेंस प्राप्त कर सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा। ठेकेदार द्वारा ठेकेदार लाइसेंस की अनुपालना तय समय सीमा में न करने की स्थितिमें

ठेकेदार का मासिक भुगतान फार्म द्वारा रोक लिया जाएगा। सुरक्षा ठेके में भाग लेने के लिए इच्छुक पार्टी/फार्म के पास अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस, पंचकुलां द्वारा **चैत् 17 ज 2005** के अंतर्गत जारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी का वैध/मान्य लाइसेंस **(चैत् 17 ज 2005)** होना अनिवार्य है । यदि सुरक्षा ठेके की निविदा में भाग लेने वाली किसी पार्टी/फार्म के पास उपरोक्त कथित प्राइवेट

Signature: CN=INDRA PAL SINGH, SERIALNUMBER=2e926aedcd4eae939d88f937671a7ee
C=IN, O=INDIA, OU=INDIA, CN=INDIA, SERIALNUMBER=2e926aedcd4eae939d88f937671a7ee
User ID: indrapal Singh
Serial No: D18578



सिक्वोरिटी एजेन्सी का वैध/मान्य लाइसेंस (चैत्र 1995) नहीं है तो वह सुरक्षा ठेके की निविदा में सफल होता है तो सुरक्षा ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होने के 03 महीने के अन्दर अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस, पंचकुलां द्वारा जारी प्राइवेट सिक्वोरिटी एजेन्सी का वैध/मान्य लाइसेंस (चैत्र 1995), सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा । उसे सुरक्षा ठेके की निविदा में स्टाम्प पेपर पर षपथपत्र देना होगा कि फार्म द्वारा उसे ठेका आवंटित किए जाने की स्थिति में वह कार्य आदेश प्राप्त होने के 03 महीने के अन्दर अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस, पंचकुलां द्वारा चैत्र 1995 के अन्तर्गत जारी प्राइवेट सिक्वोरिटी एजेन्सी का वैध/मान्य लाइसेंस (चैत्र 1995) सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा देगा ।

सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षा ठेके का कार्य आदेश जारी होने के 03 महीने के अन्दर फार्म पर उपरोक्त कथित ःण। का वैध/मान्य लाइसेंस जमा न करने की स्थिति में फार्म द्वारा बिना किसी नोटिस के आवंटित सुरक्षा ठेका निरस्त कर प्रतिभुति राषि जब्त कर ली जाएगी ।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त सुरक्षा ठेके में भाग लेने के लिए निविदादाता को निम्नलिखित षर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा :-

क. सुरक्षा ठेके में भाग लेने के लिए इच्छुक पार्टियों/फर्मों का हरियाणा/केन्द्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत होना चाहिए ।

ख. निविदादाता को सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्त संस्थान/कृषि कार्यों में संलिप्त सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान के कृषि फार्मों के अनन्य सुरक्षा ठेके का कम से कम 02 (दो) साल या निजी क्षेत्र में स्थापित कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नियमित हो के न्यूनतम 1000 एकड़ क्षेत्र के निजी कृषि फार्म के अनन्य सुरक्षा ठेके के कार्य का कम से कम पांच साल का संतोषजनक अनुभव होना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल आफ रिसैटलमेंट विभाग (कलकत्ता भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत संस्थाएं, जो उपरोक्त वांछित अनुभव रखती हों, भी सुरक्षा ठेके में भाग ले सकती हैं।

6. ऐसा कोई भी व्यक्ति/फर्म सुरक्षा ठेके में भाग नहीं ले सकेगा जो पूर्व में कभी भी निगम के किसी फार्म/ईकाई में फार्म विरोधी/गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित रहा है या राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड/अन्य किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र/निगम आदि संस्थान के द्वारा ब्लैक-लिस्टेड हो ।

7. चूंकि फार्म की फसलों, पेड़-पौधों, नहरी पानी, ट्यूबवैल, फव्वारा सिंचाई पद्धति, तारबंदी एवं अन्य सम्पत्ति इत्यादि की सुरक्षा हेतु ठेकेदार का स्वयं फार्म में उपस्थित रहना नितान्त आवष्क है, अतः सुरक्षा ठेकेदार या उसके द्वारा फार्म की सुरक्षा वयवस्था की देख रेख हेतु नियुक्त प्रतिनिधि फार्म में खुद उपस्थित रहकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा व समय-2 पर फार्म के सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताए गए निर्देशों की अनुपालना करेगा।

8. फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति का नुकसान होने के बावजूद अगर सुरक्षा ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि फार्म द्वारा आवंटित किए गए क्षेत्र से लम्बे समय के लिए अनुपस्थित रहता है व बार-2 निर्देशों के बावजूद फार्म पर उपस्थित नहीं होता है तो फार्म द्वारा उसके सुरक्षा ठेके के मासिक बिल के भुगतान रोक्के दिया जाएगा। इसके साथ-2 ठेकेदार के विरुद्ध फार्म द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी खुद सुरक्षा ठेकेदार की होगी।



- निविदा प्रपत्र के दो भाग होंगे—
(1) तकनीकी निविदा, जिसमें निविदादाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी:—

- क** — हरियाणा/केन्द्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी वैध **फर्म** पंजीकृत प्रमाणपत्र व अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस, पंचकुलां द्वारा जारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी का वैध/मान्य लाइसेंस (चै।ए।।बज 2005) की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत होना अनिवार्य है । यदि सुरक्षा ठेके की निविदा में भाग लेने वाली किसी पार्टी/फार्म के पास उपरोक्त कथित प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी का वैध/मान्य लाइसेंस (चै।ए।।बज 2005) नहीं है तो उसे सुरक्षा ठेके की निविदा में एफिडेविट पर हलफनामा देना होगा कि फार्म द्वारा उसे ठेका आवंटित किए जाने की स्थिति में वह कार्य आदेश प्राप्त होने के 03 महीने के अन्दर अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस, पंचकुलां द्वारा जारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी का वैध/मान्य लाइसेंस (चै।ए।।बज 2005), सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा देगा । ठेकेदार द्वारा उपरोक्त चै।ए।।बज का वैध/मान्य लाइसेंस 03 महीने की तय समय सीमा में जमा न करने की स्थिति में फार्म द्वारा बिना किसी नोटिस के आवंटित सुरक्षा ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
- ख**— सरकारी/अर्धसरकारी स्वायत्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान के कृषि फार्मों के अनन्य सुरक्षा ठेके का कम से कम दो साल या न्यूनतम 1000 एकड़ क्षेत्र के निजी कृषि फार्म के अनन्य सुरक्षा ठेके के कार्य का कम से कम पांच साल का नियोक्ता द्वारा जारी संतोषजनक कार्यानुभव प्रमाणपत्र ।
- ग** — ई.पी.एफ., ई.एस.आई. नं., सर्विस टैक्स न0, **लेवर लाइसेंस न. एवं** पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित फोटोप्रति एवं निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित ठेके के नियम एवं शर्तों के दस्तावेज ।
- घ** — निविदादाता को एफिडेविट देकर प्रमाणित करना होगा कि उसे या उसकी फर्म को कभी भी किसी भी सरकारी/स्वायत्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है व उसके द्वारा निविदा में जमा करवाये गये दस्तावेज पूरी तरह से सही है । वित्तीय निविदा उसी निविदादाता की खोली जायेगी जो तकनीकी निविदा में सफल होगा ।
- (2) वित्तीय निविदा, जिसमें निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में फार्म के खंड-1, 2 व खंड-3 में स्थित फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा कार्य के ठेके के रेट देने होंगे। निविदादाता को खंड-3 की दरों में खण्ड 3 के विभिन्न चकों पर स्थित फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा कार्यों की दरों के साथ-साथ केन्द्रीय कालोनी के मेन गेट पर फार्म सम्पत्ति की रखवाली करने, फार्म के अन्दर आने व बाहर जाने वाले वाहनों, बीज, अबीज व समस्त अन्य सामान की जांच करने व उनका विवरण गेट रजिस्टर में इन्द्राज करने व खण्ड-3 के तोल यंत्र पर गोदाम में आने व बाहर जाने वाले बीज/अबीज/ समस्त अन्य सामान की तुलाई करने व तुलाई का पुरा विवरण तुलाई रिकार्ड रजिस्टर में इंदराज करने हेतु शिक्षित गार्ड नियुक्त करेगा। ठेकेदार को उसके द्वारा सुरक्षा के कार्य हेतु फार्म पर नियुक्त सभी निजी गार्डों के वेतन का भुगतान श्रम कानूनों के अनुसार करना अनिवार्य होगा ।
- निविदादाता को ये सुरक्षा ठेके के कार्य की दरें सेवाकर, मतअपबम जंगल के अतिरिक्त दर्शनी होगी व सेवाकर, मतअपबम जंगल फार्म द्वारा स्वयं जमा कराया जायेगा ।**

9. सुरक्षा ठेकेदार की यह जिम्मेवारी होगी कि फार्म क्षेत्र में किसी के भी द्वारा अनाधीकृत रूप से अतिक्रमण न हो व ऐसा होने पर उसे रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि आग, बंदरों, नील गाय, आवारा व पालतु पशुओं द्वारा फार्म की फसलों एवं अन्य सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे एवं अवैध/जबरदस्ती चराई और चोरी इत्यादि तथा अन्य किसी भी प्रकार से फसलों, पेड़-पौधों, फार्म मशीनरी एवं डीजल, नहरी पानी, फव्वारा सिंचाई पद्धति, **दृश्यमान ताखंडी तथा फार्म की अन्य सम्पत्ति इत्यादि का कोई नुकसान न हो। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि फसल कटाई के पश्चात कोई पशु फार्म क्षेत्र में बिना चराई परमिट के न आए तथा**

Signature :
Date : 14/08/2024
User ID : indrapalsingh
Serial No : 410578



अवांछित चराई न हो । फार्म सम्पत्ति का नुकसान होने पर नुकसान का आंकलन उप-महाप्रबंधक (फार्म) द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा व नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई ठेकेदार से की जायेगी। सुरक्षा ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि फार्म सम्पत्ति का नुकसान के आंकलन के समय मौजूद रहेगा व ऐसा ना करने पर उसके द्वारा नुकसान की भरपाई के संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। अगर ठेकेदार फार्म सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई उसको सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर नहीं करता है तो भरपाई की रकम उसके सुरक्षा ठेके के कार्य के मासिक भुगतान से कटौती कर फार्म द्वारा वसूली जाएगी ।

10. सुरक्षा ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह फार्म क्षेत्र में पाए गए पशुओं को सम्बन्धित खण्ड के पशु फाटक में सुरक्षित ला कर बन्द करे व फार्म क्षेत्र से दूर छोड़कर आए । इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी पशु, नील गाय, भेड़ बकरी, बन्दरों इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए । आवारा पशुओं के फार्म क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित करने बाबत जो भी संवेदनशील प्वाइंट्स, जिनकी जानकारी फार्म प्रबंधन/ सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जायेगी, पर चौकीदारों को नियुक्त करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी । फार्म के संवेदनशील बिन्दुओं/क्षेत्र पर चौकीदार के ड्यूटी के दौरान सोने या किसी प्रकार की लापरवाही किए जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल में से रुपये 1000/- प्रति पॉइंट्स प्रति दिन के हिसाब से बिना नोटिस कटौती की जायेगी । फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताए गए सभी संवेदनशील क्षेत्रों/बिन्दुओं पर चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में इन क्षेत्रों/बिन्दुओं पर फार्म द्वारा स्वयं चौकीदार की नियुक्त की जाएगी व इन चौकीदारों के वेतन का भुगतान सुरक्षा ठेकेदार के मासिक भुगतान से कटौती कर किया जाएगा । फार्म के किसी विशेष क्षेत्र/चक/खण्ड पर ठेकेदार द्वारा किए गए सुरक्षा कार्य व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने व निरंतर नुकसान होने पर फार्म को ऐसे क्षेत्र की सुरक्षा किसी भी व्यक्ति/फर्म से कराने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में जो भी खर्चा आएगा वह सुरक्षा ठेकेदार के मासिक भुगतान से काट लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा आवंटित सुरक्षा ठेका बिना किसी नोटिस के निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी व उसको 5 साल के लिए केन्द्रीय राज्य फार्म हिसार के किसी भी ठेके में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाएगा।

11. सुरक्षा ठेकेदार को फसलों, फार्म मषीनरी एवं डीजल, पेड़-पौधो, नहरी पानी, फव्वारा सिंचाई पद्धति, ट्यूबवैल, तारबंदी तथा फार्म की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु विभिन्न चकों/प्वाइंटों, जिनकी जानकारी समय समय पर फार्म के फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी, पर आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मी तैनात करने होंगे। सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ भी उसके चौकीदार की ड्यूटी लगाई जाती है वह दूसरा चौकीदार आने पर ही अपने चक/ड्यूटी प्वाइंट से जाए। ठेकेदार के किसी भी चौकीदार या सुपरवाइजर को किसी भी समय फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये हटाया जा सकता है। ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा फार्म सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु लगाये गये सभी चौकीदार तथा सुपरवाइजर अपनी-2 ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करें व अपना आचरण ठीक रखें। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके चौकीदार फार्म में किसी भी

प्रकार की अप्रिय घटना,फार्म विरोधी या गैरकानूनी कृत्य में सम्मिलित नहीं होंगे तथा किसी भी फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी तरह का अमर व्यवहार या लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे अन्यथा फार्म द्वारा सुरक्षा ठेकेदार एवं सम्बंधित चौकीदार के विरुद्धनियमान्तर्गत कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। सुरक्षा ठेकेदार या उसके द्वारा फार्म पर ठेके के कार्य हेतु नियुक्त चौकीदार, पर्यवेक्षक के द्वारा किसी भी फार्म कर्मचारी/अधिकारी के साथ लड़ाई झगड़ा/ गैरकानूनी कृत्य आदि की स्थिति में फार्म द्वारा आवंटित सुरक्षा ठेका बिना किसी नोटिस के निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी व उसको 3 साल के लिए केन्द्रीय राज्य फार्म हिसार के किसी भी ठेके में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाएगा ।

12. सुरक्षा का ठेका उसी व्यक्ति को दिया जायेगा जिसका चाल-चलन सही पाया जायेगा व जो विश्वासनीय होगा। अन्य बातों के अलावा सुरक्षा ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार व सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। सुरक्षा ठेकेदार स्वयं व उसके द्वारा लगाये गए चौकीदार अथवा सुपरवाइजर फार्म के किसी भी



- कर्मचारी से कोई झगड़ा इत्यादि नहीं करेंगे। कोई विवाद होने पर वे उसकी रिपोर्ट फार्म के सुरक्षा अधिकारी/फार्म प्रबंधन को देंगे।
13. कार्य-आदेश जारी होने के पश्चात् सुरक्षा ठेकेदार या उसके द्वारा फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु की गई व्यवस्था के पर्यवेक्षण/देखरेख हेतु नियुक्त किया गया प्रतिनिधि/सुरक्षा पर्यवेक्षक स्वयं फार्म के सम्बन्धित ब्लॉक में नियमित रूप से दिन व रात्रि के समय उपस्थित रहकर खण्ड की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगा व उप-महप्रबन्धक (फार्म)/फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार अपना कार्य करेगा। सुरक्षा ठेकेदार किसी भी स्थिति में ठेके को किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नहीं देगा अर्थात् षिकमी नई समझ नहीं करेगा। सुरक्षा ठेकेदार प्रत्येक दिन फार्म के सुरक्षा अधिकारी से मिलकर फार्म की फसलों, फार्म मशीनरी एवं डीजल, पेड़-पौधो, नहरी पानी, फव्वारा सिंचाई पद्धति, ट्यूबवैल, तारबंदी तथा फार्म की अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु उसके द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था से अवगत करायेगा तथा सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। यदि इन आदेशों की अवहेलना होती है या यह पाया जाता है कि सुरक्षा ठेकेदार जानबुझकर सुरक्षा ठेके की नियम व शर्तों की अवहेलना करता है व फार्म सम्पत्ति की सुरक्षा करने में असक्षम है तो **फार्म प्रबंधन द्वारा 30 दिन का नोटिस देकर** उसका ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि फार्म प्रबंधन द्वारा जब्त कर ली जायेगी व उसको **तीन (3) साल** के लिए केन्द्रीय राज्य फार्म हिसार के किसी भी ठेके में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाएगा।
14. सुरक्षा ठेकेदार उसके क्षेत्र में फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की चोरी/नुकसान/लड़ाई झगड़े व अन्य किसी प्रकार की गैर कानूनी कृत्य की रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में करेगा व एफ.आई.आर./रिपोर्ट की प्रतिलिपि थाने की प्राप्ति सहित फार्म के उप-महाप्रबंधक (फार्म)/सुरक्षा अधिकारी/फार्म प्रबंधन को घटना घटने के 24 घंटे के अंदर सौंपेगा। **इस प्रकार के किसी भी विवाद की स्थिति में खर्च का वहन स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा इस संबंध में फार्म कोई भी खर्च वहन नहीं करेगा।**
15. सुरक्षा कार्य के लिए फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। ठेकेदार को इन सभी साधनों की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वयं करनी होगी।
16. सुरक्षा ठेकेदार को ठेके की राशि का भुगतान फार्म द्वारा मासिक आधार पर किया जायेगा। किसी भी प्रकार का टैक्स, जो नियमान्तर्गत देय होगा, ठेकेदार के बिल में से काट लिया जायेगा। इसके साथ-2 सुरक्षा ठेकेदार को प्रत्येक माह के बिल के साथ अपने पत्र पैड पर प्रमाण पत्र देना होगा कि उसने फार्म पर लगाए गए सभी चौकीदारों के वेतन का भुगतान श्रम कानून के अनुसार किया है व उसके द्वारा सभी कामगारों का ई.पी.एफ./ई.एस.आई. जमा करा दिया गया है। ठेकेदार प्रति माह अपने बिल के साथ उसके द्वारा फार्म पर सुरक्षा ठेके के कार्य हेतु सभी नियुक्त श्रमिकों/चौकीदारों को हरियाणा सरकार के श्रम कानूनों के अनुसार दिये गए वेतन के भुगतान के विवरण/क्षेत्रवद्धि खाते में जमा कराई गई ई.पी.एफ./ई.एस.आई. की राशि, न्यूनतम मजदूरी भुगतान एवं अन्य वैधानिक देयता जो श्रम कानून के अन्तर्गत आती है के प्रुफ सलंगन करेगा।
- ठेकेदार द्वारा फार्म पर उसके नियुक्त चौकीदारों को दिए गए वेतन के भुगतान, ई.पी.एफ./ई.एस.आई. खाते में जमा कराई गई राशि के विवरण सलंगन न करने पर फार्म द्वारा ठेकेदार के बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा व इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।
- ठेकेदार द्वारा फार्म सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु लगाये गये श्रमिकों के वेतन का भुगतान नहीं करने की स्थिति में फार्म प्रबंधन को प्रमुख नियोक्ता होने के नाते सुरक्षा ठेकेदार के बिलों का भुगतान रोकने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन का भुगतान किये जाने व फार्म कार्यालय में श्रमिकों से अदेयता प्रमाणपत्र/भुगतान का प्रमाण जमा कराने के पश्चात ही फार्म प्रबंधन द्वारा ठेकेदार के बिल का भुगतान किया जायेगा।
17. सुरक्षा ठेकेदार को ठेका आरम्भ होने के सात दिन के अन्दर सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में उसके द्वारा सुरक्षा ठेके के कार्य बाबत फार्म पर नियुक्त किये गए सभी श्रमिकों/चौकीदारों के नाम व पते की सुची उपलब्ध करानी होगी। ठेकेदार को उसके द्वारा फार्म पर लगाए गए सभी श्रमिकों/चौकीदारों के वेतन का

Signature :-
Subject :- CN-INDRA PAL SINGH, SERIALNUMBER-7e936aedcd14ee939d68f137671a7ec
dd272c4d882e2177ce90100574326, ST-HARYANA, OJD.2.5.A.1X.125081
Serial No: 1118578



श्रम कानूनों के अनुसार भुगतान प्रति माह की 7 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार निर्धारित हर माह की 7 तारीख तक श्रमिकों/चौकीदारों के वेतन का भुगतान नहीं करता है तो फार्म द्वारा ठेकेदार के बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा।

18. सुरक्षा ठेकेदार को अपने द्वारा लगाए गए कर्मियों के मामले में समस्त लागू श्रम कानूनों का पालन करना होगा। **ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड की उम्र कम से कम 18 वर्ष व अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए व वह शारीरिक रूप से सक्षम होने चाहिए।** स्वयं उसकी अथवा उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षाकर्मी/श्रमिक की दुर्घटना होने की स्थिति में फार्म प्रबन्धन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जो भी वैधानिक प्रावधान लागू होंगे जैसे ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0, न्यूनतम मजदूरी आदि नियमों का पालन की जिम्मेवारी स्वयं सुरक्षा ठेकेदार की होगी व इस बाबत अलग से फार्म द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
19. ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने से पूर्व रु. 100/- (रूपये एक सौ मात्र) के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तों को शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार से लिखित अनुबंध करना होगा। अनुबंध हेतु नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी। स्टाम्प पेपर का शुल्क भी ठेकेदार को वहन करना होगा। मूल अनुबंध फार्म के पास रहेगा तथा सत्यप्रतिलिपी ठेकेदार को दी जाएगी।
20. सुरक्षा ठेकेदार किसी प्रकार की फार्म/निगम विरोधी कामों में सम्मिलित नहीं होगा। अगर किसी भी समय यह पाया गया कि ठेकेदार का फार्म/निगम विरोधी हरकतों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है तो उसका ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी व उसको 5 साल के लिए केन्द्रीय राज्य फार्म हिसार के किसी भी ठेके में भाग लेने के लिए प्रतिबन्धित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा सुरक्षा कार्य किसी भी अन्य व्यक्ति/फर्म से कराया जा सकता है व ऐसा होने पर जो भी आर्थिक व्यय होगा उसकी भरपाई सुरक्षा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि या फार्म द्वारा सुरक्षा ठेके के कार्य बाबत देय मासिक भुगतान से कटौती कर की जाएगी।
21. ठेकेदार को फार्म प्रबन्धन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार उसके द्वारा की गई सुरक्षा संबंधित व्यवस्था, किसी भी प्रकार की घटी अप्रिय घटना/नुकसान/चोरी की लिखित रिपोर्ट सप्ताह में एक बार सुरक्षा अधिकारी को देगा।
22. सुरक्षा ठेकेदार को फार्म के खंड-3 में स्थित केन्द्रीय कालोनी के मेन गेट पर फार्म सम्पत्ति की सुरक्षा करने, फार्म परिसर के अन्दर आने व बाहर जाने वाले वाहनों व समस्त सामान की जाँच करने व उनका विवरण सुरक्षा गेट रजिस्टर में इंदराज करने व खण्ड-3 के तोल यंत्र पर गोदाम में आने व बाहर जाने वाले बीज/अबीज/समस्त सामान की तुलाई करने व उनकी तुलाई का पुरा विवरण तुलाई रिकार्ड रजिस्टर में इंदराज करने बाबत 24 घटें तीनों शिफ्टों में प्रर्याप्त निजी गार्ड नियुक्त करने होंगे।
23. इन व्यक्तियों/गार्डों की ड्यूटी सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवष्कतानुसार नियुक्त की जायेगी। ठेकेदार कोई भी निजी गार्ड इस क्षेत्र में बिना सुरक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति से नियुक्त नहीं करेगा।
24. ठेकेदार द्वारा **ठेके का कार्य बीच में छोड़ने तथा** उपरोक्त नियम व शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में ठेका फार्म प्रबन्धन द्वारा **30 दिन का नोटिस देकर** निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। इसके साथ-2 ठेकेदार को आगामी **तीन** ,03 साल के लिए केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के किसी भी ठेके में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाएगा।

यदि सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि सुरक्षा ठेकेदार ने सुरक्षा ठेके को निविदा में सुरक्षा ठेका प्राप्त करने हेतु / ठेका आवंटित होने के बाद सुरक्षा कार्य के बिल के साथ वेतन भुगतान, ई.पी.एफ, इ.एस.आई के झूठे/गलत प्रमाण-पत्र दर्शाये थे तो फार्म द्वारा तुरंत प्रभाव



से उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए ठेकेदार का सुरक्षा ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ-2 ठेकेदार को आगामी पांच साल के लिए केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के किसी भी ठेके में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

26. चूंकि फार्म के ढंढूर चक को राज्य सरकार को वापिस सौंपने की प्रक्रिया चल रही है अतः निविदादाता को वित्तीय निविदा प्रपत्र में चक ढंढूर (लगभग 850 एकड़) की रखवाली की दरें अलग से दर्शानी होंगी। अगर राज्य सरकार द्वारा चक ढंढूर का क्षेत्र वापिस ले लिया जाता है तो सुरक्षा ठेकेदार के खण्ड तीन के बिल के भुगतान से चक ढंढूर की दरों की कटौती प्रति माह की जाएगी।
27. किसी संगठन या भीड़ द्वारा उत्पात की स्थिति में अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फार्म सम्पदा/ फसलों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूर्णरूप से ठेकेदार की होनी।
28. सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका उसी पार्टी को दिया जाएगा जिसका चाल-चलन सही हो तथा वो निगम अथवा किसी अन्य राजकीय/अर्द्धराजकीय संस्था (केन्द्रीय अथवा राज्य) की काली सूची में न हो। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति व उनसे संबंधित पार्टी को ठेका नहीं दिया जाएगा जैसे उनकी पत्नी, पुत्र व अन्य नजदीकी रिश्तेदार इत्यादि।
29. ठेकेदार किसी भी प्रकार के फार्म उत्पाद जैसे पेड़-पौधे, लकड़ी, रसायनिक खाद, डीजल, फार्म की मिट्टी इत्यादि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नहीं ले जाने देना और न खुद ले जायेगा। ऐसे किसी भी शिकायत के प्रमाणित होने पर ठेकेदार उक्त हानि के लिए फार्म को क्षतिपूर्ति करेगा व इसके अतिरिक्त उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

Arbitration / विवाचन :

सुरक्षा ठेके के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे। तथा विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में मामले का समाधान/निपटारा (तइपजतंजपवद - ब्दबपसपंजपवद) 1996 की प्रक्रिया के तहत किया जायेगा तथा एकल विवाचक (तइपजतंजवत) की नियुक्ति सक्षम अधिकारी/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार होगी। विवाचक का फैसला अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिए यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन (तइपजतंजपवद) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराएं। विवाचन (तइपजतंजपवद) का स्थान हिसार होगा। तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल हिसार स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही पक्षकारों पर लागू होगा।

सुरक्षा अधिकारी
कृते उप-महाप्रबंधक (फार्म)

मैंने उपरोक्त फार्म के सुरक्षा ठेके की सभी नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं ठेका आवंटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व शर्तों की अनुपालना करने को तैयार हूँ।



Signature :-
Subject : CN=INDRA PAL SINGH, SERIALNUMBER=7e936aedcdb4ee939d68f137671a7ecdd272cdd8f12e2177ce901000574126, ST=HARYANA, OID.2.5.4.17=125001, OU=MANAGEMENT, O=NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD, C=IN
User ID : indrapalsingh
Serial No : D18578

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

फोन न०.....

ई-मेल आई.डी.....

बैंक खाते का विवरण

**NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Government of India Undertaking)**

COMMERCIAL BID

**The Dy.General Manager (Farm)
Central State Farm,
10 K.M. Sirsa Road,
HISAR.**

Sub: Your open e-tender notice dated ----- for award of Security Contract of the farm for the period from 1.7.2017 to 30.06.2018.

Sir,

I/We have carefully gone through all the essential terms & conditions of tender relating to awarding of security contract of Central State Farm, Hisar for safeguarding the farm's crops and all other property situated in total farm area of 2710 ha./6700 acre for the period



SM No: 118579
Subject: GNAINDRA PAL SINGH, SERIALS/JMS/21-76036aedcd81eae884986137671a7ec
118579dd8f12c177ce901000574126, ST-HARYANA, OID 2.4.4.17.45071
User ID: ndrapal Singh
Serial No: 118579

from 1.7.2017 to 30.06.2018. I declare that I will comply with terms and conditions of the security contract and offer my/our lowest rates for the security contract work as under:

S.No.	Rates per month excluding service tax.	Total rates for 12 months excluding service tax. (1.7.2017 to 30.6.2018)

I/we agree with all the terms and conditions of security contract as laid down by your Corporation.

Rates for security contract for Chak Dhandoor per month = Rs. _____ p.m.

Name & Signature and seal of Authorised Signatories with official stamp
Place
Date

TECHNICAL BID

To
Dy.General Manager(F) ,
Central State Farm,
10 KM Sirsa Rod, Hisar

FROM.....
.....
.....
.....

TENDER FORM FOR

Profiles of our company/firm are as under:

1. Particulars of the company/firm:-

Signature :-
Subject : CN=INDRA PAL SINGH, SERIALNUMBER=7e936aedcdb4eae939d68f137671a7ec
dd272cdd8f12e2177ce901000574126, ST=HARYANA, OID.2.5.4.17=125001
, OU=MANAGEMENT, O=NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD, C=IN
User ID : indrapalsingh
Serial No : D18578



Name of the firm/company with complete address, contact no. & E-mail address	Type of Firm i.e. proprietorship/partnership/ Pvt. Ltd. company/ society/ Ltd. etc. with its Registration No.	Names & contact no. of Proprietor's/Partners /Directors etc.	Valid Licence No. of Pvt. Security Agency issued by DGP Panchkula under Regulatory Act 2005 (enclosed PSARA, 2005)

Attach the necessary valid document in support of claim.

2 Details of the Past Security Contract work Experience :-

S.No.	Reference of security contract work undertaken from Govt./Semi Govt./ Autonomous Body, PSU, Agri. Farms or any Pvt. Firms	From	To	Details of Contract

3 Registration::

EPF Registration No.	ESI Registration No.	Service Tax Regn.No.

4 Income tax Details:-

PAN No (Enclose Copy)	Returns for Last Two Years (attached)	
	Year	Copy

5. Particular of Banker:-

Name and address of Banker	Type of Account	Account No.	IFS Code	MICR Code

6 EMD

Banker's Name	Draft no./UTR	Amount (in Rs.)

7 Authorization of competent authority to sign this Tender Document(Encl. copy)

8 Solvency certification of the Firm/Company or Organization (Enclose copy)

9 A self Declaration Certificate that participant is not blacklisted in any office of the NSCL or any other Government Organization. (Enclose Copy)

A self declaration under Section 194C (6) for Non-deduction of Tax of Source and Also declare the nos. of owned vehicles. (Enclosed Copy)



Signature:-
Subject: ANAND PAL SINGH, SERIAL NUMBER-726aedcd1eae924d691c781a70e
 Agency: NSCL, PAN: AAGP5014
 User ID: anandpal Singh
 User IP: 10.10.10.10
 User ID: anandpal Singh

I hereby certify that all the information mentioned above are true and in case any information is found to be incorrect, my bid may be treated as rejected by NSC management.

Thanking you,

Signature: -----

Place: -----

Name of Authorized Signatory: -----

Date: -----

Address:-----

Phone No: - -----Mobile
No. -----

DECLARATION OF NON-BLACKLISTING

I/We.....Proprietor/Partner/Authorized
signatory ofM/S..... do
hereby solemnly confirm and declare as under:



Signature :-
Subject : CN=INDRA PAL SINGH, SERIALNUMBER=7e936aedcdb4eae939d68f137671a7ec
edd272cdd8f12e2177ce901000574126, ST=HARYANA, OID.2.5.4.17=125001
, OU=MANAGEMENT, O=NATIONAL SEEDS CORPORATION 4, ID, C=IN
User ID : indra.palsingh
Serial No : D16378

My above mention firm is not been Blacklisted/ Delisted/ Prosecuted by any
Central/ State/ U.T. Government Organizations/ Departments/Autonomous

body / Research institutions/ Corporations from participation in tenders/ contracts.

2. That there is no criminal case pending against me in the Court of law.
3. I/We understand that if during any stage of Security Contract awarded to me by Central State Farm, Hisar, it comes to knowledge that any information/documents related to security contract submitted by me are false then CSF, Hisar may take disciplinary action against me as per terms and conditions of the Security Contract.

Verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

Signature

Name :

Date :

Address :

Check list of documents required to fulfill the eligibility criterias of Technical bid of security contract

Sl. No	Document	Details and validity period	Remarks
1	Pan No Registration		
2	EPF No Registration <small>NUMBER=7e936aedcdb4eae939d68f137671a7cc OU=MANAGEMENT,O=NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD,C=IN User ID : indrapalsingh Serial No : D18578</small>		
3	ESI No Registration		



4	Service Tax Registration No		
5	Valid Private Security Agency Licence issued under Regulatory Act,2005 (P.S.A, R.Act 2005)by concerned state authorities		
6	Work Experience certificate relating to satisfactory completion of security contract of Govt/Private Agriculture Farm		
7	E.M.D of Rs 1,50,000/- Transactions details of RTGS/NEFT of online deposit of EMD by tenderer.		
8	Bank Account Details of Tenderer		
9	Terms & Conditions of Security contract duly signed Note : Each page of T & C should be signed by tenderer		
10	Declaration of tenderer regarding Blacklisting of his firm		

Signature with Stamp :

Name :

Address :

Mobile and E Mail ID :



Signature :-
Subject : CN=INDRA PAL SINGH, SERIALNUMBER=7e926aedcdb4eae939d68f137671a7ec
edd272cdd8f12e2177ce901000574126, ST=HARYANA, OID.2.5.4.17=125001
, OU=MANAGEMENT, O=NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD, C=IN
User ID : indrapalsingh
Serial No : D18578